25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ओमकार सिंह (विक्रेता) निवासी विराट नगर मासिंग का वास जिला सीकर, व श्री भवानी सिंह पुत्र श्री बने सिंह (मालिक) निवासी शिव मन्दिर के पास मासिंग का वास जिला जयपुर मैसर्स– श्री विनायक पनीर सेंटर बस स्टेण्ड रिंगस जिला सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 15.02.2020 को समय 11:00 ए.एम. पर रींगस सीकर में निरक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स श्री विनायक पनीर सेंटर, में अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ खैआ का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा, जो उन्होनें बताया। विक्रेता से खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति एवं मालिक भवानी सिंह की आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की।

फर्म पर श्री विक्रम सिंह द्वारा पनीर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध पनीर के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 1–किलो खाद्य पदार्थ खैआ खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 280रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1744 खाद्य पदार्थ पनीर(खुला) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थीगण को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 50,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा मद में राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि चालान कि प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर,
नीमकाथाना सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner